| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | वकुलाय उप०। तहसीलदार, नीमकाथाना से विभाजन प्रस्ताव अप्राप्त। स्मरण पत्र जारी हो। पत्रावली दिनांक 28/6/2024 को पेश हो। | |
| | 28/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 29/8/24 को पेश हों। | |
| | 29/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 10/10/24 को पेश हों। | |
| | 10/10 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 25/11/24 को पेश हों। | |
| | 25/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O सा. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/12/24 को पेश हो। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में दिनांक 6/8/24 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। | |
| | 17/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 5/2/25 को पेश हों। | |
| | 5/2/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/4/25 को पेश हो। | |
| | 04/04/2025 GCMS- 2020/00357 | |
| | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। वकुलाय उभयपक्ष की प्रकरण में बहस सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajved Yadav
Date: 2025.05.07 12:48:0
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करते हुए वादपत्र में अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।<br><br>पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष के निवेदन पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वकुलाय उभयपक्ष तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(राजवीर सिंह यादव)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमकाथाना<br><br>राजवीर सिंह यादव<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमकाथाना (सीकर)<br><br>Signature Not V<br>Digitally signed by<br>Yadav<br>Date: 2025.05.07<br>Reason: SelfAttest |

# डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. राजकुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति बडवा निवासी हरजनपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र पोखर वगैरह

–प्रतिवादीगण

**दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा**

मुकदमा नं. 59 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री मुरारी लाल यादव एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री धर्मवीर यादव एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....................मुबलिग.......................................................बाबत..........................................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .......का अदा करें।

बसव्त मेरें दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 04 माह 04 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.............
ओहदा.............

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय | | |
| बाबत इजराय | | | हुक्मनामा | | |
| हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:48:04 IST
Reason: SelfAttested